कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष– 0771–2236685

Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक–01/03/निर्वा.नामा./पुन.–2025/7110 रायपुर, दिनांक 27 AUG 2024

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
रायपुर, (छ0ग0)

विषयः–अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2025 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी प्रेस–नोट का प्रकाशन बावत् ।

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में संपन्न कराये जा रहे फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2025 संबंधी प्रेस–नोट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

कृपया इसे राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराते हुये प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें ।

संलग्नः– प्रेस–नोट

23.8.24

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़,रायपुर

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़ रायपुर

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष–0771–2236685

Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

//प्रेस नोट//

भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के आवश्यक संशोधन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01/01/2025 जारी कर दिया गया है।

2– आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जावेगी । सभी नागरिक दिनांक 28 नवम्बर, 2024(गुरूवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । इस दौरान दिनांक 09–11–2024 (शनिवार), 10–11–2024 (रविवार) एवं 16–11–2024 (शनिवार), 17–11–2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा ।

3– इस अवधि में प्राप्त सभी दावा/आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर दिनाँक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट **https://ceochhattisgarh.nic.in** पर भी किया जावेगा ।

4– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H Survey (घर–घर सत्यापन) की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा Shiffed/मृत मतदाताओं हेतु आवश्यकतानुसार फार्म–8/फार्म–7 भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।

5– इसके अलावा DSE (Demographically Similar Entries) के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिये फार्म–7 भरने की कार्यवाही भी घर–घर सर्वे के दौरान की जावेगी ।

6– ऐसे युवा नागरिक, जो दिनाँक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे प्ररूप–6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। इस दौरान मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्ररूप–7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार/अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्ररूप–8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा । भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्ररूप–6 में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकेंगे ।

7– आवेदन करने हेतु आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं । भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये "**वोटर हेल्पलाइन एप**" के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है । यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोड़ने/संशोधन हेतु वेबसाइट **https://voters.eci.gov.in** के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

8– निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर–180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है ।

9– प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ0ग0 द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है ।

———————